असाधारण रजिस्ट्रेशन नं. जे के–33

सत्यमेव जयते

जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड–138] जम्मू, मंगलवार, 07 अक्तूबर, 2025/15 अश्विन, 1947. [सं. 28–22

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. 52/2025/एसडीआर/खंड–II क दिनांक : 7 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के

लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग ।।। क के प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत **10.10.2025 और 13.10.2025 को अधिसूचित होने वाले बिहार विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन और 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक 1 के अनुसार)** के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

ह/-

एस. बी. जोशी
प्रधान सचिव

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू—कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।

अनुलग्नक—1

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	जम्मू तथा कश्मीर	27—बडगाम
2.		77—नगरोटा
3.	राजस्थान	193—अंता
4.	झारखण्ड	45—घाटशिला(अ.ज.जा.)
5.	तेलंगाना	61—जुबली हिल्स
6.	पंजाब	21—तरन तारन
7.	मिजोरम	2—डम्पा(अ.ज.जा.)
8.	उड़ीसा	71—नुवापाडा